राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. निगरानी संख्या – 893/2008/प्रतापगढ़.
2. निगरानी संख्या – 894/2008/प्रतापगढ़.
3. निगरानी संख्या – 895/2008/प्रतापगढ़.

राजस्थान सरकार जरिए उप पंजीयक,
देवगढ़ जिला प्रतापगढ़ .....प्रार्थी.

बनाम

1. एन.ई.पी.सी. इंडिया लिमिटेड,
   शाहजी का पठार देवगढ़ जिला प्रतापगढ़.
2. मैसर्स आर.एल. डालमिया एजेन्सी प्रा0 लिमिटेड,
   जयपुर एवं सुप्रीम प्रा0 लि0, जयपुर.
3. बाड़मेर एग्रो गम इण्डस्ट्रीज, बाड़मेर. .....अप्रार्थीगण.

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रार्थी राजस्व की ओर से.

अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

निर्णय दिनांक : 06/01/2017

निर्णय

1. ये तीनों निगरानियां राजस्व द्वारा उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक), भीलवाड़ा (जिसे आगे **'कलेक्टर (मुद्रांक)'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 222/07, 223/07 व 224/07 में पृथक–पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 29.01.2008 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. इन तीनों निगरानियों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने के कारण इनका निस्तारण एक निर्णय से ही किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. इन प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी कम्पनी एन.ई.पी. सी. इण्डिया लिमिटेड को 69.61 हैक्टर भूमि राज्य सरकार द्वारा ग्राम शाहजी का पठार तहसील देवगढ़ जिला प्रतापगढ़ में आवंटित की गयी थी, जो कि Wind Power Plant स्थापित किये जाने के उद्देश्य से दी गयी थी। एन.ई.पी. सी. इण्डिया लिमिटेड द्वारा अपने निवेशकों को विन्ड पॉवर प्लान्ट लगाने हेतु अलग–अलग भूमि तीन व्यक्तियों को दी गयी थी, जिसमें (1) आर.एल.डालमिया

लगातार.....2

एजेन्सी प्रा0 लि0, (2) सुप्रीम गम प्रा0 लि0, एवं (3) बाड़मेर एग्रो गम इण्डस्ट्रीज, बाड़मेर नाम की फर्में थीं, जिनके द्वारा प्रत्येक ने 0.225 मेगावाट केपिसिटी के विन्ड पॉवर प्लान्ट स्थापित किये गये थे।

4. दिनांक 12.12.2006 को महालेखाकार की लेखा परीक्षा में यह आक्षेप लिया गया कि –

"As per provisions of Stamp Act a conveyance on sale by which property, whether movable or immovable or interest in any property is transferred to, or vested in any other person, stamp duty theron shall be charged at prescribed rates on the market value of the property. Inspector General, Registration and Stamps, Ajmer clarified (March 1998) that on plant and machinery fixed with the land which cannot be separated from land and building, stamp duty is to be chartged at prescribed rates (i.e. 11 per cent upto 11.7.2004 and 8 per cent thereafter). In case of movable plant and machinery stamp duty shall be charged at the rate or 0.5 per cent of current market value.

As per information collected regarding wind power projects erected in Chittorgarh district, it was noticed that 3 agencies got plant and machinery of wind power and erected in Chittorgarh district, value of which have been calculated @Rs.4 crore per MW (Mega Watt) subject to a minimum of Rs. 4 crore, worked out to Rs.12 crore on 31.3.2006. These plants were not found registered by Sub Registrar, Chittorgarh whereas agreements regarding purchase of these plants were compulsorily required to be registered under section 17 of Registration Act 1908. Stamp duty on the value of the plants worked out to Rs.96 lakh (details in annexure).

The matter regarding non registration of these plants is brought to your kind notice with request to get the case examined and results intimated to audit."

5. उक्त आक्षेप में संलग्न किये गये परिशिष्ठ में प्रत्येक निवेशक को दी गयी प्लान्ट एण्ड मशीनरी रूपये 4 करोड़ प्रति मेगावाट मानते हुए 8 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क रूपये 32 लाख आरोपित कर वसूल किये जाने के बारे में जांच कर परिणाम को महालेखाकार जांचदल को सूचित करने का निर्देश दिया गया था।

लगातार.....3

6. उक्त लेखा परीक्षा द्वारा किये गये आक्षेप के अनुरूप उप—पंजीयक देवगढ़ जिला प्रतापगढ़ द्वारा एन.ई.पी.सी. इण्डिया लिमिटेड को नोटिस जारी कर यह पूछा गया कि उप—पंजीयक क्षेत्र देवगढ़ के ग्राम शाहजी का पठार में विन्ड पॉवर प्लान्ट का आप द्वारा विक्रय आर.एल.डालमिया एजेंसी, सुप्रीम गम प्रा0 लि0 एवं बाड़मेर एग्रो गम इण्डस्ट्रीज को किया गया एवं इसका पंजीयन नहीं करवाया है इस कारण मुद्रांक कर का अपवंचन हुआ है, अतः विन्ड पॉवर प्लान्ट की कीमत रूपये 4 करोड़ के अनुसार 8 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क रूपये 32 लाख बनती है, अतः उस पर मुद्रांक शुल्क आरोपण का प्रस्ताव करते हुए प्रकरण न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक) को भेजने की सूचना दी गयी एवं जवाब मांगा गया।

7. उक्त नोटिस दिनांक 05.04.2007 की पालना में दिनांक 24.04.2007 को एन.ई.पी.सी. इण्डिया लिमिटेड द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें यह कथन किया गया कि राज्य सरकार के NCES Policy 2004 के प्रावधानों के तहत उनकी कम्पनी को 29.41 हैक्टर सरकारी भूमि 2.925 मेगावाट विन्ड पॉवर प्लान्ट प्रोजेक्ट के विकास हेतु ग्राम शाहजी का पठार में आवंटित की गई थी, जिसका पंजीयन दिनांक 23.03.2005 को कम्पनी के हित में करवा लिया गया था एवं कम्पनी द्वारा यह विकास करवाया जा रहा है एवं जवाब में यह भी कथन किया कि यह भूमि केवल विण्ड फॉर्म के निर्माण हेतु कार्य में ली जा रही है एवं इसे किसी को विक्रय नहीं किया जा रहा है। एन.ई.पी.सी. इण्डिया लिमिटेड ने अपने जवाब में यह भी कथन किया कि इस भूमि की लीज राशि जमा करवाई जा चुकी है।

8. एन.ई.पी.सी. इण्डिया लिमिटेड द्वारा उप—पंजीयक को दिये गये जवाब में यह तथ्य बताया गया कि 2.925 मेगावाट विन्ड पॉवर प्लान्ट प्रोजेक्ट की स्थापना के लिये 225 किलोवाट की 13 WEG की अनुमति SLEC की अनुमति प्राप्त होने के बाद उक्त 3 कम्पनियों को दिनांक 31.03.2006 के पूर्व ही प्लान्ट स्थापित कर दिया गया था।

9. एन.ई.पी.सी. इण्डिया लिमिटेड द्वारा उक्त जवाब में यह भी अंकित कर दिया गया था कि WEG अचल सम्पत्ति नहीं है बल्कि यह एक Generator and machinery है जिसमें पंजीयन मुद्रांक अधिनियम के तहत करने की आवश्यकता नहीं है। यह भी कथन किया कि नोटिस में जो 225 किलोवाट WEG की कीमत 4 करोड़ रूपये बताई गई है वह असामान्य है एवं झूठी है क्योंकि ऐसी कीमत पूरी दुनिया में भी नहीं होना बताया।

लगातार.....4

10. एन.ई.पी.सी. इण्डिया लिमिटेड द्वारा अपने जवाब में यह भी बताया गया कि उनके द्वारा प्रार्थना की जाने पर Rajasthan Renewable Energy Corporation (RREC) लिमिटेड जयपुर द्वारा कलेक्टर चित्तौड़गढ़ को उनके अलग–अलग निवेशक को भूमि सब–लीज करने के लिये भी पत्र लिखा गया परन्तु उनके द्वारा आदेश नहीं होने से भी सब–लीज नहीं किया गया।

11. यह भी कथन किया गया कि उक्त विन्ड पॉवर प्लान्ट के पंजीयन की किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है एवं मुद्रांक अधिनियम की धारा 51डी के तहत कोई मुद्रांक शुल्क देय नहीं है।

12. एन.ई.पी.सी. इण्डिया लिमिटेड द्वारा अपने पत्र में यह भी कथन किया कि यदि उप–पंजीयक इसके पश्चात् भी मुद्रांक शुल्क बाध्यकारी होना बताये तो वे उन्हें सूचित करें जिससे कि वे राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में अपना ज्ञापन दे सकें।

13. उक्त लेखा आक्षेप एवं उसके सम्बन्ध में उप–पंजीयक द्वारा एन.ई.पी.सी. इण्डिया लिमिटेड को जारी नोटिस एवं एन.ई.पी.सी. इण्डिया लिमिटेड के जवाब के पश्चात् उप–पंजीयक द्वारा मुद्रांक अधिनियम की धारा 51डी के तहत कलेक्टर (मुद्रांक) को रेफरेंस प्रेषित किया गया जिसमें विन्ड पॉवर प्लान्ट के विक्रय का पंजीयन नहीं करवाने हेतु इस पर आदेश पारित करने के लिये संस्तुति की गई जिसमें विन्ड पॉवर प्लान्ट का मूल्य रूपये 4 करोड़ एवं मुद्रांक शुल्क की राशि 8 प्रतिशत की दर से रूपये 32 लाख प्रत्येक प्रकरण में बताई गई तथा प्रत्येक में रूपये 25000/– पंजीयन शुल्क भी दर्शाया गया।

14. उप–पंजीयक द्वारा इस रेफरेंस के साथ लेखा परीक्षा का आक्षेप, अप्रार्थी को दिये गये नोटिस एवं अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब की प्रतियां कलेक्टर (मुद्रांक) को भेजी गयी।

15. कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा इस सम्बन्ध में अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये, परन्तु समुचित पता अंकित नहीं होने से जरिये अखबार नोटिस दिनांक 01.01.2008 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित करवाया गया और इसे तामील मानते हुए अप्रार्थीगण की अनुस्थिति में एकपक्षीय आदेश पारित किया, जिसके पेज संख्या 2 पर विन्ड पॉवर प्लान्ट स्थापना हेतु संविदा निष्पादन की लागत रूपये 4 करोड़ मानी एवं रूपये 32 लाख का कार्यादेश दिया जाना माना एवं उस पर 0.5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क देय माना गया। कलेक्टर (मुद्रांक) के आदेश में अप्रार्थीगण द्वारा दस्तावेजों का जानबूझकर विधिवत्

लगातार.....5

पंजीयन नहीं करवाया जाना मानते हुए 0.5 प्रतिशत की दर से रूपये 32 लाख की प्रत्येक में कीमत आंकते हुए रूपये 16,000/— मुद्रांक शुल्क एवं शास्ति रूपये 500/— आरोपित की गई।

16. तथ्यों में यह अंकित करना उचित है कि कलेक्टर (मुद्रांक) के आदेश में यह त्रुटि भी है कि एक तरफ संविदा के निष्पादन की लागत रूपये 4 करोड़ प्रति मेगावाट बताई गई है, जबकि उसका कार्यादेश रूपये 32 लाख बताया है जबकि वास्तविकता यह है कि लेखा परीक्षा द्वारा प्लान्ट की कीमत 4 करोड़ रूपये एवं देय मुद्रांक शुल्क रूपये 32 लाख दर्शाया गया था परन्तु कलेक्टर (मुद्रांक) ने बिना कोई ध्यान दिये संविदा का निष्पादन रूपये 32 लाख मानते हुए संविदा के आधार पर 0.5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क आरोपित किया है।

17. उक्त तथ्यों के प्रकाश में कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

18. प्रार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया कि उप—पंजीयक द्वारा जो रेफरेंस किया गया था वह 4 करोड़ की प्लान्ट के विक्रय पर 8 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क लिये जाने हेतु किया गया था, जिसके अनुसार प्रत्येक मामले में रूपये 32 लाख का मुद्रांक शुल्क देय होता था परन्तु कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा रूपये 32 लाख की राशि जो कि वास्तव में मुद्रांक शुल्क था उस पर 0.5 प्रतिशत से मुद्रांक शुल्क लगा दिया है जो त्रुटिपूर्ण आदेश है इसको निरस्त कर रूपये 4 करोड़ पर 8 प्रतिशत की दर से 32 लाख रूपये मुद्रांक शुल्क आरोपित करने का निर्देश देने का निवेदन किया।

19. अप्रार्थी को नोटिस जरिये अखबार प्रकाशित करवाये गये परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

20. रेकॉर्ड के गहन अध्ययन से एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यात्मक विवेचन से यह स्पष्ट है कि एन.ई.पी.सी. इण्डिया लिमिटेड को राज्य सरकार द्वारा भूमि का आवंटन राजस्थान सरकार की NCES Policy 2004 के तहत 2.295 मेगावाट विन्ड पॉवर प्लान्ट प्रोजेक्ट स्थापित करवाने हेतु शाहजी का पठार गांव में किया गया, जिसका पंजीयन एन.ई.पी.सी. इण्डिया लिमिटेड के हक में करवाया जाना उनके पत्र दिनांक 24.04.2007 में अंकित किया हुआ है। इसके पश्चात् एन.ई.पी. सी. इण्डिया लिमिटेड द्वारा विन्ड पॉवर प्लान्ट लगाने हेतु 3 निवेशक (1) आर.

लगातार.....6

एल.डालमिया एजेन्सी प्रा0 लि0, (2) सुप्रीम गम प्रा0 लि0, एवं (3) बाड़मेर एग्रो गम इण्डस्ट्रीज, बाड़मेर से करार किया गया है एवं प्रत्येक को 0.225 मेगावाट के प्लान्ट लगवाये गये हैं। तत्पश्चात् लेखा परीक्षा ने यह आक्षेप किया कि जो विन्ड पॉवर प्लान्ट एन.ई.पी.सी. इण्डिया लिमिटेड की भूमि पर लगाये गये हैं वे प्लान्ट एण्ड मशीनरी उस भूमि में फिक्स होने से तथा इस प्लान्ट पर मशीनरी सहित भूमि निवेशकों को दिये जाने से उस पर मुद्रांक शुल्क देय है। लेखा परीक्षा ने यह भी आक्षेप किया कि यदि यह प्लान्ट एण्ड मशीनरी चल सम्पत्ति है तो इस पर वर्तमान बाजार मूल्य पर 0.5 प्रतिशत से मुद्रांक शुल्क लिया जाये। लेखा परीक्षा ने अपने आक्षेप में स्वयं ने यह बताया है कि उक्त 3 व्यवसायियों द्वारा विन्ड पॉवर प्लान्ट खरीदे एवं उस भूमि पर लगाये गये हैं और प्रत्येक प्लान्ट की कीमत 4 करोड़ की है और प्रत्येक पर 32 लाख रूपये की मुद्रांक शुल्क की देयता मानी गयी। इस तरह तीन मामलों में कुल 96 लाख रूपये वसूलने का आक्षेप दिया गया था।

21. तत्पश्चात् उप–पंजीयक द्वारा जरिये नोटिस एन.ई.पी.सी. इण्डिया लिमिटेड को पंजीयन शुल्क अदा करने का आदेश दिया गया परन्तु एन.ई.पी.सी. इण्डिया लिमिटेड द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा कोई भूमि तीनों निवेशकों को सबलीज नहीं की है क्योंकि कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा सबलीज किये जाने के आदेश नहीं किये गये थे जबकि राजस्थान के अन्य विभाग RREC द्वारा कलेक्टर को ऐसा किये जाने का पत्र भी लिखा गया था।

22. कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रस्तुत उक्त रेफरेंस के तथ्यों को बिना समझे एवं बिना किसी विवेचना के इस विन्ड पॉवर प्लान्ट की स्थापना को संविदा कार्य मानते हुए एक तरफ तो 4 करोड़ की लागत मानी गयी एवं वहीं 32 लाख का कार्यादेश माना गया जो यह दर्शाता है कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा टाईप किया गया आदेश पढ़ा ही नहीं गया है क्योंकि 32 लाख का कोई आंकलन ना तो रेफरेंस में है न लेखा परीक्षा में है, बल्कि लेखा परीक्षा एवं रेफरेंस में प्रत्येक प्लान्ट का मूल्यांकन 4 करोड़ रूपये किया गया था, जिस पर 8 प्रतिशत की दर से 32 लाख रूपये का मुद्रांक शुल्क आरोपित करने का प्रस्ताव था जबकि कलेक्टर (मुद्रांक) ने उस मुद्रांक शुल्क की राशि को कार्यादेश की राशि मान लिया और उस पर चल सम्पत्ति के रूप में 0.5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क आरोपित किया जैसा कि लेखा परीक्षा के पैरा प्रथम में वैकल्पिक रूप से अंकित किया हुआ था।

लगातार.....7

23. उक्त प्रकरण की तथ्यात्मक जांच से यह पाया गया कि इस सम्बन्ध में न तो उप—पंजीयक ने रेफरेंस के पूर्व पूरे प्रकरण का अध्ययन किया क्योंकि उनके द्वारा रेफरेंस में बिन्दु संख्या 2 पर विन्ड पॉवर प्लान्ट विक्रय किया जाना बताया है और न ही कलेक्टर (मुद्रांक) ने इस पर ध्यान दिया है बल्कि इसे एक संविदा निष्पादन मानकर इस पर 0.5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क आरोपित किया है जो कि तथ्यों में सम्मिलित ही नहीं है।

24. कलेक्टर (मुद्रांक) ने यह जांच नहीं की है कि एन.ई.पी.सी. इण्डिया लिमिटेड ने कोई भूमि सबलीज की थी अथवा नहीं एवं विन्ड पॉवर प्लान्ट का विक्रय एन.ई.पी.सी. इण्डिया लिमिटेड द्वारा किया गया था या स्वयं निवेशकों द्वारा विन्ड पॉवर प्लान्ट खरीदे गये थे क्योंकि सामान्यतया विन्ड पॉवर प्लान्ट स्वयं निवेशक द्वारा खरीद किये जाते हैं और केवल एन.ई.पी.सी. इण्डिया लिमिटेड द्वारा उनकी स्थापना करवाई जाती है। ऐसी स्थिति में मुद्रांक/पंजीयन शुल्क देय होने के बिन्दु पर विचार किया जाना आवश्यक था और इसमें भूमि या मशीनरी के स्थानान्तरण या लीज के तथ्यों का अन्वेषण आवश्यक था।

25. प्रकरण में यह यह प्रमाणित है कि प्रार्थी विभाग द्वारा जो निगरानी पेश की गयी है वह इस सीमा तक सही है कि कलेक्टर (मुद्रांक) ने पूरा आदेश गलत राशि अंकित करते हुए किया है जो विधिक रूप से संशोधन योग्य है एवं मुद्रांक अधिनियम की धारा 52 के तहत यह संशोधन किया जा सकता था।

26. उक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के मद्देनजर कलेक्टर (मुद्रांक) के तीनों विवादित आदेश निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरणों को पुनः कलेक्टर (मुद्रांक) को निम्नांकित निर्देशों के साथ पुनः आदेश पारित करने के लिये प्रतिप्रेषित किया जाता है :—

(i) यह जांच की जावे कि एन.ई.पी.सी. इण्डिया लिमिटेड द्वारा विभिन्न निवेशकों को भूमि सबलीज की गयी है या नहीं, यदि सबलीज की गयी है तो उसके अनुसार उसका पंजीयन दायित्व सम्बन्धी निर्धारण करें।

(ii) लेखा परीक्षा के आक्षेप में बिना किसी आधार के विण्ड पॉवर का मूल्यांकन किया गया है अतः यह परीक्षण करें कि क्या विन्ड पॉवर प्लान्ट की कीमत 4 करोड़ रूपये उचित है अथवा नहीं एवं उसका क्या आधार है। यदि कोई आधार नहीं है तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग से सूचना प्राप्त की जाये एवं तद्नुसार मूल्यांकन कर मुद्रांक/पंजीयन की देयता का निर्धारण करें।

लगातार.....8

(iii) कलेक्टर (मुद्रांक) इस सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश करें कि उनके द्वारा 0.5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क किस तरह देय होता है एवं यह भी स्पष्ट निर्णय दिया जावे कि क्या प्लान्ट एण्ड मशीनरी का विक्रय हुआ है अथवा लैण्ड का सबलीज हुआ है या भूमि एवं प्लान्ट एण्ड मशीनरी सहित कोई संविदा की गयी है। इस तरह मुद्रांक शुल्क के बारे में सम्पूर्ण तथ्यों के परीक्षण के बाद में पुनः आख्यापक आदेश (Speaking order) पारित करें एवं प्रत्येक तथ्य का स्पष्ट वर्णन एवं विवेचन करें।

26. यह टिप्पणी करना उचित है कि महालेखाकार द्वारा ऑडिट के दौरान कोई आक्षेप लिये जाते हैं तो उन पर पूर्ण विचार कर तथ्यात्मक एवं विधिक प्रावधानों के तहत आदेश किये जाने चाहिये न कि केवल आक्षेप के जवाब की पूर्ति मात्र के लिये उसकी पालना करने मात्र के उद्देश्य से अविधिक एवं आधारहीन आदेश पारित किये जायें जिससे अकारण वादकरण उत्पन्न होता है।

27. इस प्रकरण में यह स्पष्ट प्रतीत है कि कलेक्टर (मुद्रांक) जैसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पत्रावली के तथ्यों पर गौर किये बिना आदेश पर हस्ताक्षर किये गये हैं क्योंकि 4 करोड़ की राशि पर 32 लाख के मुदांक आरोपण के प्रस्ताव के स्थान पर प्रत्येक प्रकरण में 32 लाख की राशि लिखते हुए 0.5 प्रतिशत की दर से 16,000/— का आरोपण कर दिया गया। इस तरह प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों ही पक्षों के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया है। जहां एक और प्रार्थी के लिखित प्रस्ताव को देखे बिना ही आदेश किया है वहीं अप्रार्थी के दिये गये जवाब एवं तथ्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जो उप—पंजीयक के समक्ष पेश किया था।

28. उक्त वस्तुस्थिति के मद्देनजर महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे ऐसे लापरवाही पूर्ण आदेशों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये विभागीय अधिकारियों को परिपत्र के जरिये निर्देशित करें क्योंकि इन रेफरेंस में कुल 12 करोड़ पर 8 प्रतिशत या 0.5 प्रतिशत राशि के आरोपण का प्रस्ताव था जो क्रमशः 96 लाख या 6 लाख होता जबकि आदेश में कुल 48 हजार (प्रत्येक में 16 हजार) का आरोपण कर दिया है जो प्रत्येक दृष्टि से राजस्व के विरूद्ध है एवं अप्रार्थी के भी विरूद्ध है। इस तरह राजस्व के बड़े प्रकरणों में भी गम्भीरता से विचार नहीं किया जाना सोचनीय है।

लगातार.....9

29. परिणामस्वरूप प्रार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत निगरानियां स्वीकार की जाकर कलेक्टर (मुद्रांक) के तीनों निगरानी अधीन आदेश 29.01.2008 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण उपरोक्त निर्देशानुसार कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

30. निर्णय सुनाया गया।

6.1.2017

(के. एल. जैन)
सदस्य

6.1.2017

(मदन लाल)
सदस्य